



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269183
CG-DL-E-08012026-269183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSA 17, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2026

सं. 54/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत लो ऐश मेटालर्जिकल कोक की आयात नीति एवं नीतिगत शर्त में संशोधन - के संबंध में।

का.आ. 113(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत लो ऐश मेटालर्जिकल कोक की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

2. अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 08 को हटा दिया गया है।

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त

27040020	लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमी कोक	प्रतिबंधित	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त संख्या 08 के अधीन	मुक्त	-
27040030	कोयले का हार्ड कोक				
27040040	कोयले का सॉफ्ट कोक				
27040090	अन्य				

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) कोड 27040020, 27040030, 27040040 और 27040090 के अंतर्गत आने वाले लो ऐश मेटालर्जिकल कोक (जिसमें ऐश की मात्रा 18% से कम हो) जिसमें कोक फाइन/कोक ब्रीज़ और अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल हैं, का आयात “मुक्त” है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND NDUSTRY
(Department Of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2026

No. 54/2025-26

Subject: Amendment in Import Policy & Policy Condition of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) – regarding.

S.O. 113(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy of Low Ash Metallurgical Coke under Chapter 27 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy), as under:

2. The Policy Condition No. 8 of Chapter 27 stands deleted.

ITC (HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Policy Condition
27040020	Coke and semi-coke of lignite or of peat	Restricted	Subject to Policy Condition No. 08 of Chapter 27.	Free	-
27040030	Hard coke of coal				
27040040	Soft coke of coal				
27040090	Other				

Effect of this Notification:

Import of Low Ash Metallurgical Coke (having ash content below 18%), including coke fines/coke breeze and ultra-low phosphorous metallurgical coke, falling under ITC (HS) Codes 27040020, 27040030, 27040040 and 27040090, is “Free”.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

LAV AGARWAL, Dir. General of Foreign Trade Ex-Officio and Addl. Secy